न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन),बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 44/2016

अनवान :–
श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

–प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री कमल कुमार पुत्र मीरचूमल वासवानी मै0 ग्रीन सोडा वाटर फैक्ट्री के.ई.एम. रोड़, बीकानेर (विक्रेता मालिक फर्म)
2. पार्टन0 पंकज नागपाल निवासी ए–9 पवनपुरी नागणेचीजी रोड, बीकानेर, मैसर्स पयोनियर एजेन्सी बी– 142 करणीनगर बीकानेर हाल आर.एम. एजेन्सी श्री मनोज नागपाल पार्टनर डी.आर. एम ऑफिस के सामने मॉर्डन मार्केट, बीकानेर
3. पार्टनर श्याम अरोड़ा आई ई 78 जे.एन.वी.कॉलोनी बीकानेर (राजस्थान) मैसर्स पयोनियर एजेन्सी बी 142 करणी नगर बीकानेर हाल आर.एम. एजेन्सी श्री मनोज नागरपाल पार्टनर डीआरएम ऑफिस के सामने मॉर्डन माकेर्ट बीकानेर
4. पार्टनर मनोज नागपाल ए–9 पवनपुरी, बीकानेर मैसर्स पयोनियर एजेन्सी बी 142 करणी नगर बीकानेर हाल आर.एम. एजेन्सी श्री मनोज नागरपाल पार्टनर डीआरएम ऑफिस के सामने मॉर्डन माकेर्ट बीकानेर
5. पार्टनर बैशाली छाबड़ा, वर्ल्ड नं. 4 सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) राजस्थान मैसर्स पयोनियर एजेन्सी बी 142 करणी नगर बीकानेर हाल आर.एम. एजेन्सी श्री मनोज नागरपाल पार्टनर डीआरएम ऑफिस के सामने मॉर्डन माकेर्ट बीकानेर
6. नोमिनी श्री गणेश नीमा (राजस्थान) मैसर्स आई टी सी लिमिटेड वर्जीना हाउस 37 जेएल नेहरू रोड़, कोलकाता

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी संख्या 1,2,4,5 व 6 – श्री वीर विक्रम व्यास अधिवक्ता
3. अप्रार्थी संख्या 3 – सुश्री नन्दिनी भौम अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 9.06.2015 को अप्रार्थीपक्ष कमल कुमार वासवानी पुत्र मीरचूमल वासी निवासी 2/ई 319 जेएनवी बीकानेर –मैसर्स ग्रीन सोडा वाटर फैक्ट्री केईएम रोड़, बीकानेर, के यहां यपी नूडल्स (Sunfeast) के कुल 10 पैक्ड 280 ग्राम के कन्टेनर आम जनता को बेचा जा रहा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त यपी नूडल्स (Sunfeast) प्रति नग 40X8=320 रूपये में से खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त यपी नूडल्स (Sunfeast) की प्रत्येक पैकड पर लेबल फार्म तैयार कर पूर्ण विवरण अंकित कर उस पर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर करवाकर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रत्येक यपी नूडल्स (Sunfeast) को सीलबन्द मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 20.8.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें यपी नूडल्स (Sunfeast) मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा यपी नूडल्स (Sunfeast) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से वकालतनामा व जवाब पेश हुआ । अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से लिखित कथन किया कि प्रार्थी खासुअ द्वारा उनके विरूद्ध गलत अभियोजन कार्यवांही दायर की गई है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनों की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.8.2015 प्रस्तुत की गई है वह अप्रार्थीगण पर प्रभावी नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकारी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3.2016 के अन्तर्गत "No added MSG" की स्थिति की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.8.2015 में किसी भी स्थिति से स्पष्ट नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट उक्त स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अभियोजन कार्यवाही दायर नहीं की जा सकती । अगर इसके अभाव में कार्यवाही दायर की जाती है तो वो केवल मात्र अप्रार्थीगण को अनावश्यक पीड़ित करने वाली कार्यवाही है। विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीगढ़ द्वारा क्रिमिनल मिस्लेनियश पीटिशन नं. 681/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.3.2012, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा सी.एल. यादव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश व अन्य पारित निर्णय दिनांक 16.11.2006 एवं न्याय निर्णय अधिकारी जिला वारंगल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.4.2016 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह निर्णय अप्रार्थीगण के प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। इन नजीरों के परिपेक्ष्य में भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अभियोजन कार्यवाही संचालन योग्य नहीं है। तदनन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से यपी नूडल्स (Sunfeast) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Noodles with Masala Mix (Yippee) (Sunfeast) (ITC)" bearing Code No. and Sr. No. J-941 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां यपी नूडल्स (Sunfeast) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से बहस में कथन किया लेब प्रमाणीकरण नहीं है। मुख्य पैक पर अंकित है। राजस्थान में केवल 4 लेब ही अप्रूव्वल है। अतिरिक्त एमएसजी नहीं डाली है। प्राकृतिक रूप से एमएसजी पाई जाती है। लेब में यह प्रमाणित नहीं है। रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। नोटिफिकेशन के आधार पर बिना जांच की कार्यवाही की गई है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में केस लॉ सी.ए. यादव एवं एच.सी. एमपी 18 पैरा व 20 पैरा प्रस्तुत की। विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अपनी बहस का समापन करते हुवे कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा दायर इस अभियोजन कार्यवाही को समाप्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में जो कथन किये एवं समर्थन में जो नजीरे एवं आदेश दिनांक 31.3.2016 की जो प्रति प्रस्तुत की है के अवलोकन से यह नजीरे एवं आदेश दिनांक 31.3.2016 इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) अभियोजन कार्यवाही दायर की गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से यपी नूडल्स (Sunfeast) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट दिनांक 20.8.2015 के अनुसार इस मामले में The sample of "Noodles with Masala Mix (Yippee) (Sunfeast) (ITC)" bearing Code No. and Sr. No. J-941 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां यपी नूडल्स (Sunfeast) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का जो आरोप आरोपित किये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 प्रथम दृष्ट्या क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मिथ्या छाप (मिसब्राण्ड) खाद्य प्रदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिये विनिर्माण, भंण्डारन मिथ्या छाप (मिसब्राण्ड) के दोषी है ।

6. अप्रार्थीगण द्वारा मिसब्राण्ड यपी नूडल्स (Sunfeast) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

7. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में मिथ्या छाप (मिसब्राण्ड) खाद्य पदार्थ यपी नूडल्स (Sunfeast)का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत रू. **60,000/–** अखरे रूपये साठ हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

9. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिथ्या छाप(मिसब्राण्ड) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 6 का ही परिलक्षित होता है अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपयें **15,000/–** अखरे रूपये पन्द्रह हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 6 को दायी घोषित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

10. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मिथ्या ब्राण्ड (मिसब्राण्ड) मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री यपी नूडल्स (Sunfeast) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का वितरण/विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 6 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 45,000/– अखरे पैंतालीस हजार रूपये में से अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) की शास्ति राशि रूपये **5,000/–** अखरे रूपये पांच हजार तथा शेष आरोपित शास्ति राशि रूपये 40,000/– अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 समान रूप से यानि प्रत्येक अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 10,000/–, 10,000/–रूपये भरने हेतु दायी होगा।

11. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner